मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987

[क्रमांक 11 सन् 1990]

विषय-सूची

अध्याय 1-प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2. परिभाषाएँ

अध्याय 2

परिषद् का गठन और रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

3. राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् का निगमन
4. परिषद् का गठन
5. निर्वाचन का ढंग
6. नाम निर्देशन या सदस्यता पर निर्बन्धन
7. सदस्यों की पदावधि
8. परिषद् का सम्मिलन
9. परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के लिये मत
10. रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी

अध्याय 3 -राज्य चिकित्सक रजिस्टर का तैयार किया जाना और रखा जाना

11. रजिस्टर का तैयार किया जाना
12. रजिस्टर का रखा जाना
13. अतिरिक्त अर्हताओं का रजिस्ट्रीकरण
14. रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के विशेषाधिकार
15. राज्य चिकित्सक रजिस्टर में नाम के प्रविष्ट किये जाने का प्रतिषेध करने या उसमें से नाम हटाये जाने का निदेश देने की परिषद् की शक्ति
16. परिषद् द्वारा राज्य चिकित्सक रजिस्टर में परिवर्तन
17. जाँचों में प्रकिया
18. परिषद् के विनिश्चय के विरुद्ध अपील

अध्याय -4 परिषद निधि

19. परिषद् निधि
20. वे उद्देश्य जिनके लिये परिषद् निधि उपयोजित की जा सकेगी

अध्याय 5 - प्रकीर्ण

21. इस अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम 1956 का सं 102 में यथा उपबंधित के सिवाय व्यवसाय करने का प्रतिषेध

22. राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण
23. परिषद् द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन
24. शास्ति
25. रिक्ति के कारण कार्यवाहियाँ आदि अविधिमान्य नहीं होंगी
26. सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण
27. राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति
28. परिषद् द्वारा विनियम बनाने की शक्ति ।

अध्याय - 6 निरसन और संक्रमणकालीन उपबन्ध

29. संक्रमणकालीन उपबन्ध ।
30. चिकित्सा व्यवसायियों को लागू होने वाले साधारण उपबन्ध ।
31. निरसन तथा अन्य परिणाम ।
अनुसूची ।

मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987

[क्रमांक 11 सन् 1990]

[दिनांक 10 जुलाई, 1990 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति म० प्र० राजपत्र (आसाधारण) में दिनांक 24 जुलाई, को प्रथम बार प्रकाशित की गई ।

मध्य प्रदेश में चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित विधियों को समेकित और संशोधित करने तथा राज्य के लिये आयुर्विज्ञान परिषद् के गठन और उनसे संशक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य की अड़तीसवें वर्ष में मध्य प्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो--

अध्याय 1 -प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम म० प्र० आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं -इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "परिषद्" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन स्थापित मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्;

(ख) "भारतीय चिकित्सक रजिस्टर" से अभिप्रेत है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का सं० 102) की धारा 21 के अधीन रखा गया रजिस्टर;

(ग) "आयुर्विज्ञान" से अभिप्रेत है आधुनिक आयुर्विज्ञान की समस्त शाखाएँ और उसके अन्तर्गत शल्य विज्ञान और प्रसूति विज्ञान (अब्स्ट्रेटिक्स) भी है किन्तु उसके अन्तर्गत पशु आयुर्विज्ञान और शल्य विज्ञान नहीं है;

(घ) "मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता " से अभिप्रेत है-

(एक) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का सं० 102) की अनुसूचियों में तत्समय सम्मिलित आयुर्विज्ञान अर्हताओं में से कोई अर्हता;

(दो) अनुसूची में विनिर्दिष्ट आयुर्विज्ञान अर्हताओं में से कोई अर्हता;

(क) "रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य चिकित्सक रजिस्टर में नामांकित कोई व्यक्ति;

(ख) "विनियम" से अभिप्रेत है धारा 28 के अधीन बनाया गया कोई विनियम;

(ग) "राज्य चिकित्सक रजिस्टर" से अभिप्रेत है धारा 11 के अधीन रखा गया रजिस्टर ।

अध्याय 2- परिषद् का गठन और रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों और सेव कों की नियुक्ति

3. राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् का निगमन-(1) राज्य सरकार, यथाशक्य शीघ्र, अधिसूचना द्वारा, राज्य के लिए एक आयुर्विज्ञान परिषद् की स्थापना ऐसी तारीख से करेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) परिषद् मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् के नाम से एक निगमित निकाय होगी और उसका शाश्वत् उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारण करने तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, किसी ऐसी सम्पत्ति की, जो उसके द्वारा धारित हो, आन्तरित करने तथा संविदा करने की ओर अपने गठन के प्रयोजनों के लिये आवश्यक समस्त अन्य बातें करने की शक्ति होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगी तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा :

परन्तु परिषद, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, अपने द्वारा धारित किसी सपत्ति को विक्रय, बंधक पट्टा के रूप में या अन्यथा अन्तरित नहीं करेगी या किसी व्यक्ति या अभिकरण से धन उधार नहीं लेगी ।

4. परिषद् का गठन–(1) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्-

(क) राज्य चिकित्सक रजिस्टर में नामांकित व्यक्तियों द्वारा अपने में से निर्वाचित पांच सदस्य;

(ख) पांच सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे-

(एक) इंडियन मेडिकल एसोसियेशन, मध्य प्रदेश राज्य शाखा द्वारा प्रस्तावित किये जाने वाले पांच व्यक्तियों के पैनल में से उक्त एसोसियेशन की राज्य शाखा का एक प्रतिनिधि;

(दो) राज्य में के विश्वविद्यालयों के आयुर्विज्ञान संकायों के सदस्यों में से एक सदस्य;

(तीन) मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं (मध्य प्रदेश हेल्थ सर्विसेस) में दो सदस्य जो प्रथम वर्ग का पद धारण करते हों, जिनमें से एक महिला डाक्टर होगी;

(चार) राज्य सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में से एक का संकायाध्यक्ष (डीन);

(2) संचालक, चिकित्सों सेवाएँ (डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेस) परिषद् का अध्यक्ष होगा और संकायाध्यक्ष; परिषद् का उपाध्यक्ष होगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति का नाम राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा और सदस्य ऐसे प्रकाशन की तारीख से अपना-अपना पद ग्रहण करेंगे और उनकी पदावधि के प्रयोजनों के लिये; यह समझा जायेगा कि उन्होंने अपना-अपना पद ऐसे प्रकाशन की तारीख से ग्रहण कर लिया है ।

(4) उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा तथा उसकी ऐसी शक्तियों का प्रयोग जो अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपी जाएँ ।

5. निर्वाचन का ढंग–(1) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचन का संचालन परिषद् द्वारा ऐसे नियमों के अनुसार किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा इसे निर्मित बनाये जाएँ ।

(2) जहां परिषद् के लिये किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई विवाद अद्भूत होता है, यहां वह ऐसी कालावधि के भीतर, जो विहित की जाये, राज्य सरकार को निर्देशित किया जायेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम आबद्धकर होगा ।

6. नाम-निर्देश या सदस्यता पर निर्बन्धन-कोई भी व्यक्ति धारा 4 के अधीन निर्वाचन या नाम-निर्देशन के लिये-

(एक) पात्र नहीं होगा जब तक कि उसका नाम राज्य चिकित्सक रजिस्टर में न रहे; और
(दो) दो से अधिक क्रमवर्ती अवधियों के लिये पात्र नहीं होगा ।

7. सदस्यों की पदावधि-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये कोई निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट सदस्य उस तारीख से, जिसको वह धारा 4 की उपधारा (3) में उपबंधित किये गये अनुसार अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा.
परन्तु पदावरोही सदस्य तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तरा- धिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता ।

(2) किसी निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट सदस्य के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है, या वह परिषद् की राय में, पर्याप्त प्रतिहेतु के बिना, परिषद् के तीन कमवर्ती साधारण सम्मिलनों से अनुपस्थित रहता है, अथवा यदि वह रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी नहीं रह जाता है ।

(3) परिषद् में की गई कोई आकस्मिक रिक्त, यथासम्भव शीघ्र यथास्थिति निर्वाचन या नाम-निर्देशन द्वारा भरी जाएगी और उसी उस रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति, अपने पूर्ववर्ती की अनवसित अवधि के लिये पद धारण करेगा ।

(4) जहां किसी सदस्य की बाबत् उक्त पांच वषं की अवधि का अवसान होने वाला हो, वहां किसी पदोन्नति का निर्वाचन या नाम-निर्देशन उक्त अवधी का अवसान होने के पूर्व तीन मास के भीतर किसी भी समय किया जा सकेगा किन्तु वह तब तक पद ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उक्त अवधि का अवसान न हो चुका हो ।

8 परिषद् का सम्मिलन -(1) परिषद्, प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे समय और स्थान पर सम्मिलन करेगी जो अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाये ।

(2) जब तक विनियम द्वारा अन्यथा उपबन्धित न किया जाए, परिषद् के पांच सदस्यों से जिनमें से कम से कम एक अशासकीय सदस्य होगा गणपूर्ती होगी और परिषद् के किसी सम्मिलन के समक्ष लाये गय, समस्त प्रश्न, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जाएँगे और मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में, पीठासीन प्राधिकारी का द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

9. परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के लिए भत्ते-परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को सम्मिलनों में हाजिर होने के लिये ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा जैसा कि परिषद् विनियमों द्वारा अवधारित करे ।

10. रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी–(1) परिषद् राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी जो परिषद् के सचिव कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा :

परन्तु कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया जाने के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी न हो :

परन्तु यह और भी कि धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् की स्थापना के लिए विनिर्दिष्ट की गई तारीख से प्रथम चार वर्षो के लिये रजिस्ट्रार वह व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाये और वह अपना पद राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त धारण करेगा ।

(2) परिषद् राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिकारियों और सेवकों के उतने पद सुजित कर सकेगी जितने वह इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये आव- श्यक समझे, और उन पर अधिकारियों और सेवकों की नियुक्त कर सकेगी :

परन्तु उन पदों पर, जिनका न्यूनतम वेतन 1820 रुपये या उससे अधिक हो, परिषद द्वारा नियुक्तियां, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं की जाएगी ।

(3) रजिस्ट्रार के बारे में अर्हताएँ, नियुक्ति और सेवा की शर्ते तथा वेतनमान ऐसे होंगे जो विहित किये जाएँ और अन्य कर्मचारियों के बारे में वे ऐसे होंगे जो परिषद्, विनियमों द्वारा, उपबन्धित करें ।

(4) परिषद्, रजिस्ट्रार से या किसी अन्य कर्मचारी से उसके कर्तव्यों के सम्यक् पालन के लिये ऐसी प्रतिभूति अपेक्षित करेगी और लेंगी जैसी कि वह आवश्यक समझे ।

(5) इस धारा के अधीन परिषद् द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार और अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं० 5) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएँगे ।

अध्याय 3- राज्य चिकित्सक रजिस्टर का तैयार किया जाना और रखा जाना

11. रजिस्टर का तैयार किया जाना-(1) रजिस्ट्रार, राज्य के लिये चिकित्मा व्यव- सायियों का एक राज्य चिकित्सक रजिस्टर इस अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार तैयार करेगा और रखेगा ।

(2) राज्य चिकित्सक रजिस्टर ऐसे प्ररूप में होगा और उसे ऐसे भागों में विभाजित किया जायेगा जैसा कि विहित किया जाये । रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी का पूरा पता और अर्हताएँ, वह तारीख जिसको प्रत्येक अर्हता प्राप्त की गई थी तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाएं ।

(3) कोई भी व्यक्ति जो, मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता रखता है, किसी भी समय, रजिस्ट्रार को विहित प्ररूप में आवेदन करने पर तथा ऐसी फीस का, जो विनियम द्वारा विहित की जाय, संदाय करने पर और यथास्थिति अपनी उपाधि (डिग्री) या डिप्लोमा प्रस्तुत करने पर विहित औपचारिकताओं के पूरे हो जाने के पश्चात्, मामूली तौर से तीन मास के भीतर, अपना नाम राज्य चिकित्सक रजिस्टर में प्रविष्ट कराने का हकदार होगा :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति ऐसी अधिक मान्यता-प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएँ रखता है तो वह आवेदन में उन समस्त मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं का उल्लेख करेगा जो वह आवेदन करने की तारीख को रखता है :

परन्तु यह और भी कि किसी ऐसे आदेश का, जो पर्याप्त हेतुक से, अपनी उपाधि या डिप्लोमा प्रस्तुत करनेमें असमर्थ है एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिये, अन्तिम रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा यदि वह परिषद का समाधान कर देता कि वह ऐसी उपाधि या डिप्लोमा धारण करता है ।

उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का, नाम महाकौशल मेडिकल काउन्सिल या मेडिकल काउन्सिल, भोपाल द्वारा रखे गये रजिस्टर में, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन को प्रविष्ट है, उसका नाम इस अधि. नियम के अधीन तैयार किये गए राज्य चिकित्सक रजिस्टर में, उससे इस बात की अपेक्षा किये बिना प्रविष्ट किया जायेगा कि वह इस प्रयोजन के लिये आवेदन करे या किसी फीस का संदाय करें ।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र विहित प्ररूप में दिया जायेगा । रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या उसकी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि अपने व्यवसाय के स्थान में किसी सहन दृश्य भार पर प्रदर्शित करेगा ।

12. रजिस्टर का रखा जाना–(1) परिषद के रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के तथा परिषद द्वारा किये गये किन्हीं आदेशों के अनुसार, राज्य चिकित्सक रजिस्टर रखे, और समय-समय पर रजिस्टर को विहित रीति में पुनरीक्षित करे । रजिस्ट्रार, चिकित्सक रजिस्टर को राजपत्र में प्रकाशित करवायेगा और वर्ष के दौरान किया गया प्रत्येक परिवर्तन प्रतिवर्ष राजपत्र में प्रकाशित किया जा सकेगा ।

(2) ऐसा रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का सं० 1) के अर्थ के अन्तर्गत लोक दस्तावेज समझा जायेगा और राजपत्र में प्रकाशित प्रति द्वारा साबित किया जा सकेगा ।

13. अतिरिक्त अर्हताओं का रजिस्ट्रीकरण-(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, जो राज्य चिकित्सक रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट किये जाने के पश्चात् कोई ऐसी पदवी (टाइटिल) उपाधि या डिप्लोमा, जो मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता है, प्राप्त कर लेता है, तो वह उसकी प्रविष्टि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राज्य चिकित्सक रजिस्टर में करवाने के लिये आबद्ध होगा ।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, जिसे उपधारा (1) लागू होती है, कोई पदवी, उपाधि या डिप्लामा, जो मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता है, प्राप्त कर लेने पर, ऐसी पदवी, उपाधि या डिप्लोमा की प्रविष्टि राज्य चिकित्सक रजिस्टर में या तो पूवं में की गई किसी प्रविष्टि के स्थान पर या उसके अतिरिक्त कराने के लिये, ऐसे प्ररूप में और ऐसी कालावधि के भीतर जो विहित की जाये, तथा प्राप्त की गई प्रत्येक अर्हता के लिये ऐसी फीस, जो विनियमों द्वारा विहित की जाये, के साथ परिषद् को आवेदन करेगा :

परन्तु जहां ऐसी पदवी, उपाधि या डिप्लोमा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख के पूर्व प्राप्त किया गया हो, वहां ऐसा आवेदन ऐसे प्रारम्भ की तारीख से छह मास के भीतर किया जायेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर परिषद् पदवी उपाधि या डिप्लोमा की प्रविष्टि, विहित औपचारिकताओं के पूरे हो जाने के पश्चात्, मामूली तौर से तीन मास के भीतर, राज्य सरकार चिकित्सक रजिस्टर में करेगी ।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, जिसने कोई अतिरिक्त अर्हता प्राप्त कर ली है, ऐसी अर्हता का उपयोग व्यवसाय के प्रयोजन के लिये या किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये अथवा व्यवसाय के दौरान उससे कोई लाभ प्राप्त करने के लिए या नियोजन के प्रयोजन के लिये करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने उस अर्हता की प्रविष्टि इस धारा के उपबन्धों के अनुसार राज्य चिकित्सक रजिस्टर में न करा ली हो ।

14 रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी का विशेषाधिकार–(1) इस अधिनियम या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का सं० 102) में कतिपय मान्यता प्राप्त आर्युविज्ञान अर्ह रखने वाले व्यक्तियों द्वारा चिकित्मा व्यवसाय किये जाने के बारे में जो शर्ते और नियम अधिकथित हैं उनके अध्यधीन रहते हुये, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम राज्य चिकित्सक रजिस्टर में तत्समय है, इस बात का हकदार होगा कि वह अपना अर्हताओं के अनुमार, राज्य के भीतर चिकित्सा व्यवसायों के रूप में व्यवसाय करें और ऐसे व्यवसाय के सम्बन्ध में औषधियों (मेडिकामेन्ट्स) या अन्य साधितों की बाबत् कोई व्यय, प्रभार या कोई फीस, जिसका कि वह हकदार हो, वसूल करे ।

(2) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन किसी चिकित्सा व्यवसायों द्वारा दिया जाने के लिए अपेक्षित प्रमाण-पत्र तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि वह किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी द्वारा

हस्ताक्षरित न हो और उस पर उसके नाम तथा रजिस्ट्रीकरण क्रमांक की मुद्रा न लगी हो ।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी द्वारा दिए गए प्रत्येक औषधि-पत्र (प्रेस्क्रिप्शन) पर ऐसे रजि- स्ट्रीकृत व्यवसायी के नाम तथा रजिस्ट्रीकरण क्रमांक की मुद्रा होगी ।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी से भिन्न कोई भी व्यक्ति किसी अस्पताल, पागलखाने, रूग्णालय, औषधालय या किसी अन्य आयुर्विज्ञान संस्था में चिकित्सक (फिजिशियन) शल्य चिकित्सक या चिकित्सा अधिकारी के रूप में या स्वास्थ्य अथवा आयुर्विज्ञान की किसी अन्य सम्बद्ध शाखा में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कोई भी पद धारण करने का पात्र नहीं होगा ।

15. राज्य चिकित्सक रजिस्टर में नाम प्रवृत्त किये जाने का प्रतिषेध करने या उसमें से नाम के हटाये जाने का निर्देश देने की परिषद् की शक्ति-परिषद्, रजिस्ट्रार से निर्देश प्राप्त होने पर या अन्यथा, राज्य चिकित्सक रजिस्टर में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम प्रविष्टि किये जाने का प्रतिषेध कर सकेगी या उस रजिस्टर में से किसी ऐसे व्यक्ति का नाम हटाये जाने का आदेश दे सकेगी-

(क) जिसे किसी दण्ड न्यायालय ने किसी ऐसे अपराध के लिये कारावास से दण्डाधिष्ट किया हो जो परिषद् की राय में उसके चरित्र में कोई ऐसा दोष उपदर्शित करता हो कि जिससे राज्य चिकित्सक रजिस्टर में उसका नामांकन किया जाना या राज्य चिकित्सक रजिस्टर में उसके नाम का बना रहना अवांछनीय हो जाये; या

(ख) जिसे परिषद् ने, ऐसी जांच के पश्चात् जिसमें उसे स्वयं सुनवाई का अवसर दिया गया हो और जो परिषद् के विवेकानुसार बन्द कमरे में की जा सकेगी, परिषद् के सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वार किन्तु ऐसे सदस्य पांच से कम नहीं होंगे, किसी वृत्तिकर प्रसंग में गर्हित -चरण का दोषी पाया हो ।

16. परिषद् द्वारा राज्य चिकित्सक रजिस्टर में परिवर्तन - (1) परिषद् सम्बन्धित व्यक्ति को सुने जाने का मुक्ति-युक्त अवसर देने और उसके आक्षेपों की, यदि कोई हो जांच करने के पश्चात् यह आदेश दे सकेगी कि राज्य चिकित्सक रजिस्टर में की कोई ऐसी प्रविष्टि, जो परिषद् की राय में कपटपूर्वक या गलती से की गई है, या करवा दी गई है, रह कर दी जाएँ या संशो- धिंत की जायें ।

(2) परिषद् किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी का नाम राज्य चिकित्सक रजिस्टर में से सदैव के लिये या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये हटाये जाने का निर्देश उन्हीं कारणों से दे सकेगी जिनके आधार पर उसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण की धारा 15 के अधीन प्रतिषेध किया जा सकता है ।

(3) परिषद् यह निर्देश दे सकेगी कि उपधारा (2) के अधीन हटाया गया कोई भी नाम, ऐसी शर्तो के, यदि कोई हो, निन्हें परिषद् अधिरोपित करना उचित समझें, अध्यधीन रहते हुये, पुनर्स्थापित किया जाये ।

17.जांचों में प्रक्रिया - धारा 12, 15 या 16 के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिये परिषद् या धारा 29 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्राधिकृत कोई समिति, भारतीय साक्ष्य

अधिनियम, 1872 (1872 का सं० 1) के अर्थ के अन्तर्गत न्यायालय समझी जायेगी, और वह लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 (1850 का सं० 37) के अधीन नियुक्त आयुक्त की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी, और ऐसी जांच यथाशक्य लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 (1850 का सं० 37) की धारा 5 के तथा धारा 8 से 20 तक के उपबन्धों के अनुसार संचालित की जाएगी ।

18. परिषद् के विनिश्चय के विरुद्ध अपील–(1) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 12, 15 या 16 के अधीन किये गये परिषद् के विनिश्चिय से व्यथित हो, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील ऐसे विनिश्चिय की प्रतिलिपि सम्बन्धित पक्षकार को प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर की जाएगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विनियम द्वारा विहित की जाये ।

अध्याय 4 - परिषद् निधि

19. परिषद् निधि–(1) परिषद् एक निधि स्थापित करेगी जो परिषद् निधि कहलायेगी ।

(2) निन्नलिखित परिषद् निधि के भाग रूप होंगे, या उनका उनमें संदाय किया जाएगा
(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई अभिदाय या अनुदान;
(ख) फीस से हुई आय को सम्मिलित करते हुये, परिषद् की समस्त स्रोतों से आय;
(ग) न्यास, वसीयत (विक्वेस्ट), संदान, विन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई ही;
(घ) परिषद् द्वारा प्राप्त समस्त अन्य धनराशियां ।

20. वे उद्देश्य जिनके लिये परिषद् निधि उपयोजित की जा सकेगी-परिषद् निधि निम्न- लिखित उद्देश्यों के लिए उपयोज्य होगी, अर्थात्-
(क) उन ऋणों के प्रतिसंदाय के लिये जो परिषद् द्वारा इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिये उपगत किये गये हों;
(ख) किसी ऐसे वाद या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों के व्ययों के लिये जिसमें परिषद् एक पक्षकार हो;
(ग) परिषद के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के संदाय के लिए;
(घ) परिषद् के पदाधिकारियों (आफिस बियरर्स को भत्तों के संदाय के लिए;
(ड) किन्हीं ऐसे व्ययों के संदाय के लिए जो इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में परिषद् द्वारा उपगत किए गए हों ।

अध्याय - 5 प्रकीर्ण

21. इस अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम, 1956 का सं 102 में यथा उपबंन्धित के सिवाय व्यवसाय करने का प्रतिषेध-इस अधिनियम या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956

का सं 102) में यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर चिकित्सा व्यवसाय नहीं करेगा अथवा स्वयं को प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: इस रूप में व्यपदेशित नहीं करेगा कि वह चिकित्सा व्यवसाय करता है ।

22. राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण--यदि किसी भी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है परिषद् ने इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रयोग करने में चूक की है या अतिरेक किया है उसका दुरुपयोग किया है अथवा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों में से किसी कर्तव्य का पालन करने में चूक की है, तो राज्य सरकार यदि वह ऐसी चूक है अतिरेक या दुरूपयोग को गंभीर प्रकृति का समझती है । उसकी विशिष्टियां परिषद् को अधिसूचित कर सकेगी, और यदि परिषद् ऐसे समय के भीतर जो राज्य सरकार इस निमित्त नियत करें, ऐसी चूक अतिरेक या दुरूपयोग का उपचार करने में असफल रहती है, तो राज्य सरकार, परिषद् को दो वर्ष की कालावधि के लिए जो राज्य सरकार द्वारा एक बार में एक वर्ष से अधिक न होने वाली कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी । विघटित कर सकेगी । किन्तु विघटित की कालावधि कुल मिलाकर पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी, और परिषद् की समस्त शक्तियों और कर्तव्यों या उनमें से किसी शक्ति या कर्तव्य का प्रयोग और पालन व्यक्ति द्वारा और ऐसी कालावधि के लिए जिसे वह ठीक समझें करवा सकेगी और नई परिषद् को अस्तित्व में लाने की कार्यवाही करेगी ।

23. परिषद् द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन--- (1) परिषद् ऐसी रिपोर्ट अपने ऐसे कार्य वृत्तियों की प्रतिलिपियां अपने ऐसे लेखाओं की संक्षिप्तियां (एब्स्ट्रेक्ट्स) तथा ऐसी अन्य जानकारी राज्य सरकार को देगी जो राज्य सरकार उपेक्षित करें ।

(2) राज्य सरकार इस धारा के अधीन उसे दी गई किसी रिपोर्ट प्रतिलिपि संक्षिप्त या अन्य जानकारी को ऐसी रीति में प्रकाशित कर सकेगी जैसी कि वह उचित समझे ।

24. शास्ति--यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम राज्य चिकित्सक रजिस्टर में अंकित नहीं है रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यवसाय करेगा तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा :

परन्तु-

(एक) ऐसा व्यक्ति जो बैचलर इन आयुर्वेदिक विथ मार्डन मेडिसिन एण्ड सर्जरी की उपाधि रखता हो और मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत हो, विषम चिकित्सीय औषधियों (एलोपैथिक मेडिसिन विहित करने या शल्य चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये, इस धारा के अधीन दण्डनीय नहीं होगा यदि उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र उसे ऐसा करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता है;

(दो) ऐसा चिकित्सा व्यवसायी, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का सं० 102) की धारा 27 विशेषाधिकारी का हकदार हो, मध्य प्रदेश में उसका रजिस्ट्रीकरण न होने के कारण इस धारा के अधीन दण्डनीय नहीं होगा ।

25. रिक्ति के कारण कार्यवाहियां आदि अविधिमान्य नहीं होगी-परिषद् का कोई कार्य या उसकी कोई कार्यवाही केवल इस कारण अधिमान्य नहीं होगी कि-

(क) उसमें कोई रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या
(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन या नाम निर्देशन में कोई त्रुटि है; या
(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।

26 सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण-इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये प्राशयित किसी भी बात के लिये कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार, परिषद् या उसकी किसी समिति या सरकार के या परिषद् के विरुद्ध किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध नहीं होगी ।

27. राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति -(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात् -
(क) रजिस्ट्रार की अर्हताएँ, नियुक्ति तथा सेवा की शर्ते उसका वेतनमान, पद्धावधि तथा शक्ति और कर्तव्य;
(ख) कोई भी अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे ।

28. परिषद द्वारा विनियम बनाने की शक्ति - परिषद्, साधारणत: इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये विनियम, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से बना सकेगी, और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध हो सकेंगे-

(क) परिषद् की सम्पत्ति का प्रबन्ध तथा उसके लेखाओं का रखा जाना और उनकी सम्परीक्षा;
(ख) परिषद के सम्मिलनों का बुलाया जाने का और किया जान, वह समय जब और वह स्थान जहाँ ऐसे सम्मिलन किए जाने हों, तथा उनमें काम काज का संचालन; परिषद् के सदस्यों का त्याग पत्र;
(ग) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य;
(घ) समिति की नियुक्ति का ढ़ग, ऐसी समिति के सम्मिलनों का बुलाया जाना और किया जाना तथा ऐसी समितियों के काम-काज का संचालन;
(ङ) परिषद् के अन्य कर्मचारियों की अर्हताएँ और सेवा की शर्ते;
(च) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में कथित की जाने वाली विशिष्टियाँ तथा उसके साथ दिये जाने वाला अर्हताओं का सबूत,

(छ) इस अधिनियम के अधीन किए गये आवेदनों तथा अपीलों पर संदत्त की जाने वाली फीस;

(ज) राज्य चिकित्सक रजिस्टर में अतिरिक्त अर्हतायें प्रविष्ट कराने के लिये संदत्त की जाने वाली फीस; और

(झ) कोई भी विषय जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन उपबन्ध विनियमों द्वारा किया जा सकता हो ।

अध्याय 6 --निरसन और संक्रमणकालीन उपबन्ध

29. संक्रमणकालीन उपबन्ध -(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार परिषद् को अस्तित्व में लाने के लिए संचालक, चिकित्सा सेवाएँ मध्य प्रदेश का इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रथम बार स्थापित की जाने वाली परिषद् के निर्वाचन का संचालन करने के लिये विशेष अधिकारी नियुक्त कर सकेगी ।

(2) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् की स्थापना होने तक उपधारा (1) के अधीन नियुक्त विशेष अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित परिषद् समझा जाएगा और वह परिषद् 'की शक्तियों का प्रयोग और उसके कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

30, चिकित्सा व्यवसायियों को लागू होने वाले साधारण उपबन्ध -इस अधिनियम के उपबन्ध, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का सं० 102) के उन उपबन्धों के जिनमें समस्त चिकित्सा व्यवसायियों को लागू होने वाले साधारण उपबन्ध अन्तर्विष्ट है, अतिरिक्त है, न कि उनके अल्पीकारक ।

31. निरसन तथा अन्य परिणाम - - इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से निम्न लिखित परिणाम होगे अर्थात्--

(क) सेन्ट्रल प्रविन्सेज एण्ड बरार मेडीकल रजिस्ट्रे शन एक्ट, 1916 (क्रमांक 1 सन् 1916) और मध्य प्रदेश स्टेट्यूटरी बॉडीज (रीजनल कान्स्टीट्यूशन एक्ट 1956 (क्रमांक 17 सन् 1956) जहाँ तक कि वह उक्त एक्ट से सम्बन्धित है मध्यभारत चिकित्सा व्यवसायी रजिस्ट्रीकरण विधान, 1954 (विधान क्रमांक 16 सन् 1954 तथा मेडीकल प्रेक्टिशनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 (भोपाल एक्ट क्र० 7 सन् 1935) जहां तक की वह धारा 2 के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित चिकित्सा व्यवसाय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों से सम्बन्धित है; निरस्त हो जायेंगे;

(ख) महाकौशल मेडीकल काउन्सिल, मध्यभारत (रीजन) चिकित्सा परिषद् तथा मेडीकल प्रेक्टिशनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1935 (भोपाल एक्ट क० 7 सन् 1935) की धारा 3 के अधीन स्थापित मेडीकल काउंसिल विघटित हो जाएगी ।

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट काउँसिल/परिषद् समस्त आस्तियां और दायित्व धारा 3 के अधीन स्थापित या स्थापित समझी गई परिषद् की आस्तियां तथा हो जायेंगे और समझे जायेंगे;

(घ) खंड (ख) में निर्दिष्ट काउंसिल/परिषद् के समस्त अभिलेख और कागज पत्र, धारा 3 के

अधीन स्थापित या स्थापित समझी गई परिषद् में निहित हो जायेंगे और उसे अन्तरित कर दिये जायेंगे ।

अनुसूचि

[धारा 2 (घ) देखिये]

आयुर्विज्ञान संस्था जिसके द्वारा प्रदान की गई है	मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं	रजिस्ट्रीकरण के लिये संक्षेपाक्षर
(1)	(2)	(3)
राबर्टसन मेडीकल स्कूल, नागपुर	रूलर मेडीकल प्रेक्टिशनर्स डिप्लोमा इन मेडीकल प्रेक्टिस	आर० एम० पी० डी० एम० पी०

[मध्य प्रदेश राजपत्र (आसाधारण) दिनांक 24 जुलाई, 1990 के पृष्ठ 1429-1438 पर प्रकाशित] ।

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 296] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 9 अगस्त 2018 — श्रावण 18, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2018

क्रमांक 8078/डी. 151/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25-04-2016 को राज्यपाल एवं दिनांक 30-07-2018 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 17 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 (क्र. 11 सन् 1990) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

नवीन धारा 26क का अंत:स्थापन.

2. छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 (क्र. 11 सन् 1990) की धारा 26 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"26क. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.- (1) यदि राज्य शासन का समाधान हो जाये कि लोक हित में आवश्यक है, तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूची में संशोधन कर सकेगा और तदुपरांत अनुसूची, राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से संशोधित की गई समझी जायेगी.

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी किये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी."

नया रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2018

क्रमांक 8078/डी. 151/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09-08-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 17 of 2018)

THE CHHATTISGARH AYURVIGYAN PARISHAD (AMENDMENT) ADHINIYAM, 2016

An Act to amend the Chhattisgarh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam, 1987 (No. 11 of 1990).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Ayurvigyan Parishad (Amendment) Adhiniyam, 2016.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Insertion of new Section 26A.

2. After Section 26 of the Chhattisgarh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam, 1987 (No. 11 of 1990), the following shall be inserted, namely :-

"26A. Power to amend the Schedule.- (1) If the State Government is satisfied that it is necessary in public interest then it may, by notification, amend the Schedule and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended from the date of publication of said notification in the Official Gazette.

(2) Every notification issued under sub-section (1), shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the State Legislative Assembly."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.